12

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

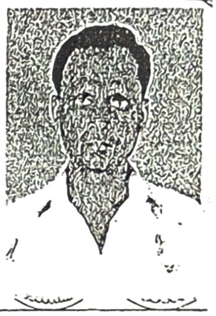

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FA 91570

पंचशील शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध सेवा संस्थान ट्रस्ट

न्यास विलेख (INSTURMENT OF TRUST)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 21-12-2020 को तहसील लालगंज जनपद मीरजापुर उ0प्र0 में श्री श्यामलाल मौर्य पुत्र स्व0 श्री दशरथ प्रसाद मौर्य ग्राम सुबॉव कलॉ, पो0 बेउदर थाना हलिया तहसील लागलंज जनपद मीरजापुर द्वारा किया गया जिन्हे आगे न्यास कर्ता/संस्थापक कहा जायेगा और क्योंकि न्यास कर्ता/संस्थापक पर रुपये 11111/– (ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह) की राशि है जिसे कि वह सामाजिक, धार्मिक, शिक्षण, प्रशिक्षण व शोध कार्यो हेतु दान देने के इच्छा करते है न्यास कर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति संहरणीय न्यास (Irrevocable Trust) बनाने हेतु इच्छुक है जो कि सामाजिक, धार्मिक व शैक्षणिक उत्थान के क्षेत्र में कार्य करेगा। यह ट्रस्ट पंचशील शिक्षण; प्रशिक्षण एवं शोध सेवा संस्थान के नाम से जाना जायेगा, जिसे ट्रस्ट भी कहा जायेगा। यह ट्रस्ट समस्त धर्मो/सम्प्रदाय/वर्गो के साथ–साथ भारतीय संविधान अनुच्छेद 29 एवं 30 के उपबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा,

न्यास कर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से जिसमें दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलत है के द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सकें।

और क्योंकि न्यास कर्ता / संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रुपये 11111/– (ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय ग्राम सुबांव कलॉ, पो0 बेदउर थाना हलिया तहसील लालगंज, जिला मीरजापुर उ0प्र0 रहेगा। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

और क्योंकि यह न्यास/ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित किया जाता है।

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक लालगंज मिर्जापुर क्रम संख्या 2020263006771

आवेदन संख्या : 202001001004895

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक	2020-12-21 00:00:00
प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम	श्यामलाल मौर्य
लेख का प्रकार	न्यास पत्र
प्रतिफल की धनराशि	0 / 0.00
1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क	1200
2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क	100
3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क	
4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क	
5 . कमीशन शुल्क	
6 . विविध	
7 . यात्रिक भत्ता	
1 से 6 तक का योग	1300
शुल्क वसूल करने का दिनाँक	2020-12-21 00:00:00
दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा	2020-12-21 00:00:00
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर	

उप निबन्धक लालगंज मीरजापुर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FR 225455

उद्देश्य एवं नियमावली

<u>ट्रस्ट के उद्देश्य</u>

ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा–

1. पाठशाला, विद्यालय, महाविद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला, चिकित्सालय, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावास, कम्प्यूटर केन्द्र, सर्वेक्षण केन्द्र तथा सामुदायिक विकास केन्द्र, पर्यावरण, एड्स उक्त केन्द्र की स्थापना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध, प्रबन्ध, संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं तथा शासन आदि से उन्हें मान्य, सम्बद्ध, आबद्ध पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।
2. यह ट्रस्ट भारतीय संविधान अनुच्छेद 29 एवं भारतीय अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को प्राप्त संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धि अधिकार का अनुपालन सुरिश्चित करेगा।
3. प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं इण्टर मीडिएट तथा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्रबद्ध संस्थायें आई0सी0एस0सी0, सी0बी0एस0सी0 द्वारा संस्थाओं का मान्य सम्बद्ध, आबद्ध पंजीकृत व स्वीकृत करा सकना।
4. राज्य सरकारों तथा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, संस्कृत शिक्षा परिषद, म0प्र0 शिक्षा व बिहार शिक्षा परिषद आदि समस्त राज्य द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों आदि का मान्य सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित व स्वीकृत करा सकना।
5. पाली भाषा का प्रचार–प्रसार व पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना।
6. विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी तथा यू0जी0सी0 केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा मान्य संस्थानों व प्रतिष्ठानों का मान्य सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित व स्वीकृत करा सकना।
7. महाविद्यालय के समस्त संकाय कला संकाय, वाणिज्य संकाय तथा विज्ञान संकाय के समस्त विषयों का मान्य सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित व स्वीकृत करा सकना।
8. तकनीकी संस्थान की समस्त विषयों पाठ्यक्रमों तथा प्रतिष्ठानों व एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्य डी0एल0एड0, डी0ई0सी0एड0, बी0टी0सी0, बी0एड0, एम0एड0 विषयों पाठ्यक्रमों तथा प्रतिष्ठानों का मान्य सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित व स्वीकृत करा सकना।

9057/100 पंचशील शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान एवं

[illegible] बाबू बिन्द स्टाम्प विक्रेता
तहसील-लालगंज, मीरजापुर
लाइसेन्स नं०-10

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

FR 2254

9. ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का संचालन जैसे पालिटेक्निक, इंजिनियरिंग एवं टेक्नोंलॉजी के समस्त विषयों के स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा कोर्स तथा प्रबन्ध विषयों (मैंनेजमेंट पाठ्यक्रम) जैसे एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 आदि पाठ्यक्रमों व संस्थानों का मान्य सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित व स्वीकृत करा सकना।

10. ट्रस्ट भारत सरकार के समस्त मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों का लोक हित में संचालित कर सकेगा।

11. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथां व्यवहारिक प्रायोगिक कलॉ, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, कृड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

12. नागरिकों विशेष कर बालक, बालिकाओं, युवक, युवतियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं को संचालित करना।

13. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र, छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन / आवास / सुविधाओं आदि की व्यवस्था करा सकना।

14. विभिन्न कक्षाओं, वर्गों के लिए पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना, परीक्षाए लेना।

15. पुस्तकों, साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।

16. शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास कर सकना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कर सकना। सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, प्रतियोगिताए, बैठक, विशेष कक्षायें सत्र, कार्यक्रम आयोजित कर सकना।

पंचशील शिक्षक प्रशिक्षण एवं शोध सेवा संस्थान

९०५८
१०००

7-10

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

FR 22547

17. समाज कल्याण विभाग, नावार्ड, कपार्ट परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण, मानव संसाधन मंत्रालय पर कार्य कर सकना।

18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्कीनप्रिंटिंग, प्रिंटिंग आदि शिक्षा प्रदान करना।

19. सामाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता के अक्षुण्ण रखने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, आई0टी0आई0, पुस्तकालय, फार्मेसी, फिजियोंथीरेपी आदि संस्थानों की स्थापना कर सकना तथा इनकी शाखाओं की स्थापना कर सकना चिकित्सा केन्द्र अस्पताल, प्रेस की स्थापना, संचालन, विकास आवद्ध, लैब, टेक्नीशीयन, सम्बद्ध प्रबन्ध आदि कर सकना।

20. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी, ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कर सकना एवं ट्रस्ट में ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना समायोजित कर सकना।

21. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

22. विधि सम्मत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।

23. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पदान करना एवं उसका प्रचार प्रसार कर सकना।

24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।

25. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।

26. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना। जो पूर्णतया चैरिटेबल (अलाभकारी) होगा।

पंचशील शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध सेवा संस्थान

२०४९
100

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
रु. 100
ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

FR 225481

27. पत्राचार द्वारा व्यापक, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थायें कर सकना।

28. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।

29. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।

30. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।

31. विभिन्न आयोंजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुस्तकार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।

32. विभिन्न संस्थानों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालयों/इंजीनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार (Franchise) प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार (Franchise) अन्य को प्रदान कर सकना। कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित, किसी भी तरह के संस्थान को न्यास में समाहित करने की इच्छुक हो तो, उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर न्यासियों एवं न्यास मण्डल/बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही संस्था/समिति को न्यास में समाहित किया जा सकेगा और वह समिति/संस्था न्यास की संस्था (सम्पत्ति) मानी जायेगी।

33. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।

34. ट्रस्ट जन सामान्य हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवायें/वस्तुए/लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खड़न्जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशु पालन आदि का प्रचार कर सकना।

पंचशील शिक्षा प्रा.उ.उ. एवं शोध सेवा संस्थान पुवांग

१०८० / 100

27/10/20

लाइसेन्स नं०—10

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (6)

FR 225482

35. ट्रस्ट वित्तीय लाभ के लिए कार्य नहीं करेगा, जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा, एवं बंजर भूमि, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं युवा वर्ग हेतु रोजगार, केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
36. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
37. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाओं का संचालन करना।
38. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना। गरीब असहायों एवं जरूरतमंदों को निःशुल्क शिक्षा देना पिछड़े वर्गो, अनु0 जातियों, अनु0 जन जातियों को अच्छी शिक्षाओं तथा भारत के किसी भी हिस्से में (संघशाषित राज्यों में भी) शैक्षिक संस्थाओं, कृशि विज्ञान कम्यूनीटी, विकास केन्द्रों, अनुसंधान, संस्थायें महिला कल्याण रोजगार, राष्ट्रीय अखण्डता कार्यकम, स्वास्थ्य केन्द्र या कोई भी कार्य किसी स्थान पर बनाने प्राप्त करने, शुरू करने और बरकरार रखने के लिए कार्य करना।
39. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना।
40. कृषकों को फूल एवं औषधियों खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयत व निर्यात करना।
41. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉली क्लीनिक का निर्माण करना।
42. भारत सरकार उ0प्र0 सहित अन्य भारत के राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के विकास प्राधिकरण आवास विकास परिषद्र व अन्य प्राईवेट समितियों से आवासीय व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु जमीन का कय विकय एवं विकसित करना। समितियों, किसानों से सीधे कृषि, फार्म हाउस व्यवसायिक व गैर व्यवसायिक, जमीन का कय विकय करना व स्थापना करना। जो भी कय विकय होगा लाभ के लिए नहीं किया जायेगा। अर्थात् अलाभकारी रहेगा। ट्रस्ट/संस्था के हित में होगा। अर्थात् ट्रस्ट/चैरिटेबल (खैराती) होगा।
43. ट्रस्ट/संस्था अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भारत सरकार एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उ0 प्र0 व अन्य राज्यों द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलायी जा रही योजनाओं का संचालन सुनिश्चित करेगा। अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क शिक्षण प्रशिक्षण एवं स्कूल, कालेज, उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना करेगा।

पंचशील शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध सेवा संस्थान पु.

3061
100

7-10

तहसील–लालगंज, मीरजापुर
लाइसेन्स नं०–10

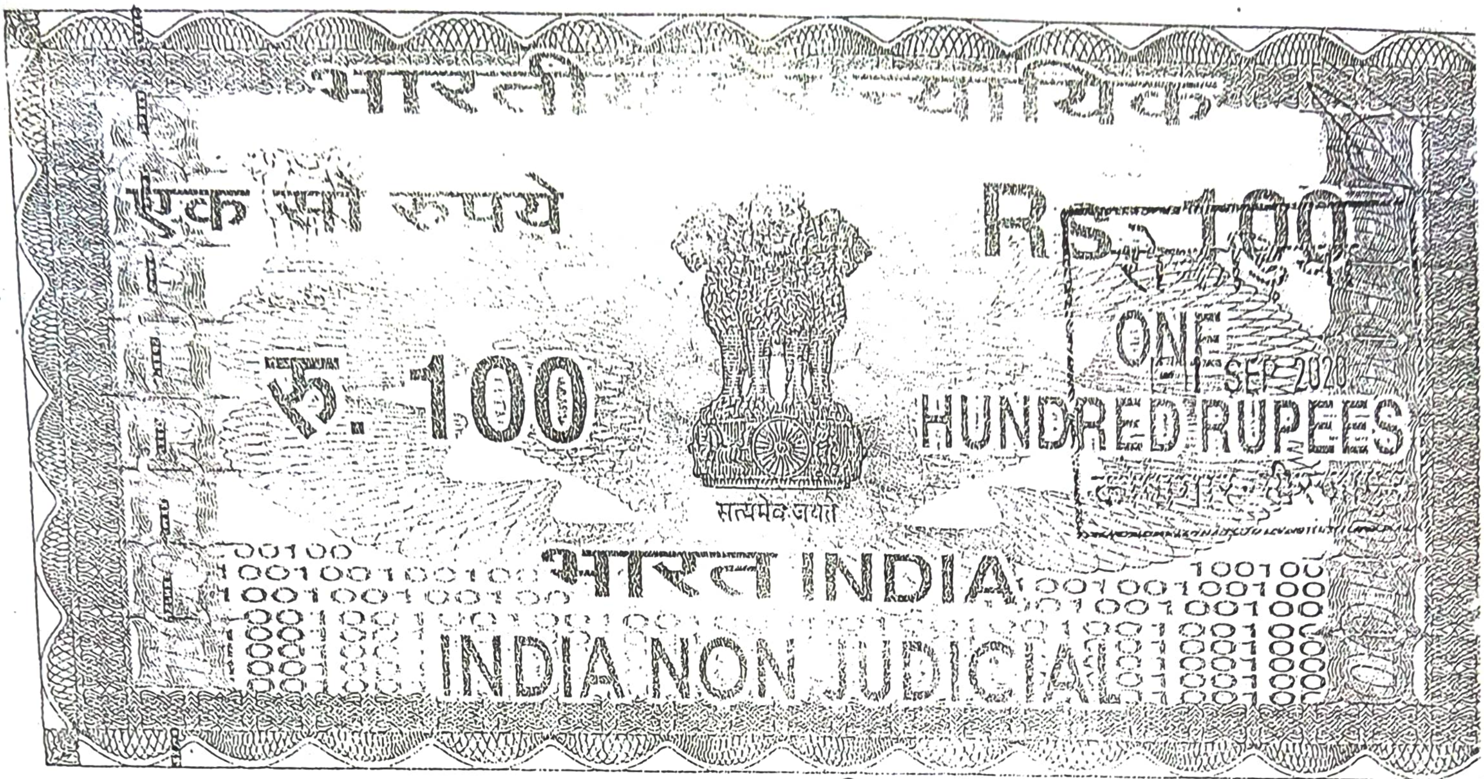

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (7) FR 225483

44. सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार एवं विकलांग कल्याण विभाग उ0प्र0 व अन्य राज्यों द्वारा विकलांग जनों के हितो के लिए चलायी जा रही योजनाओं का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।

45. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं (भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों) अनु0 जाति, अनु0 जन जाति हेतु चलाये जा रहे समस्त योजनाओं का संचालन करना। अनु0 जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों के उत्थान हेतु शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य करना, स्कूल, कालेज व उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, अनु0 जाति, अनु0 जन जाति के व्यक्तियों महिलाओं के लिए छात्रावास व अन्य आवासीय योजनाओं का संचालन करना एवं सरकार द्वारा चलाये जा रहे निर्माण आदि हेतु अनुदान प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा।

46. निराश्रित महिलाओं, विधवाओं हेतु विधवा आश्रम, वृद्वा आश्रम व भिक्षु–भिक्षुणियों हेतु भिक्षु गृह का निर्माण करना एवं संचालन हेतु सरकार से अनुदान आदि प्राप्त करना।

47. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क संचालित योजनाओं का संचालन करना। जैसे निःशुल्क अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र आदि की स्थापना करना, निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करना, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करना जैसे– एम0बी0बी0एस0, बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0 आदि कोर्स का संचालन करना, नर्सिंग कालेज, फार्मेसी कालेज, पैराफार्मेसी कालेज एवं होमियोपैथी, युनानी मेडिकल कालेज की स्थापना करना सुनिश्चित करेगा।

48. ट्रस्ट द्वारा विधि, महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, कृषि इण्टर कालेज, उद्यान, मत्स्य महाविद्यालय/कालेज की स्थापना करना सुनिश्चित करेगा।

49. ट्रस्ट द्वारा पायलट ट्रेनिंग सेन्टर, मोटर ड्राईविंग स्कूल, ट्रेनिंग सेन्टर व शिक्षण प्रशिक्षण,अग्निशमन शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय/ट्रेनिंग सेन्टर का संचालन आदि सुनिश्चित करेगा।

अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण हेतु विशेष :–

50. अल्पसंख्यक वर्ग विशेष रूप से छात्रावास का निर्माण करना, छात्रावास निर्माण हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकारों से अनुदान आदि प्राप्त करना।

51. बौद्व धर्मावलम्बियों के छात्र/छात्राओं (भिक्षु–भिक्षुणियों) हेतु भारत सरकार व उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य राज्यों से छात्रावास, बौद्ध मठ निर्माण हेतु सरकार द्वारा चलायी जा रही अनुदान योजना से अनुदान प्राप्त करना एवं ट्रस्ट बौद्ध धर्मावलम्बियों के छात्र/छात्रा को निःशुल्क शिक्षण, प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा।

पंचशील शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध सेवा संस्थान मुबा

9082/100

लालता[illegible] सिंह [illegible] 10-2[illegible]
तहसील-लालगंज, मीरजापुर
लाइसेन्स नं०-10

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 8 FR 225486

52. ट्रस्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उ0 प्र0 सरकार व अन्य राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों हेतु शिक्षण प्रशिक्षण हेतु अनुदान प्राप्त करना, छात्रावास का निर्माण करना, छात्रवृति आदि सुनिश्चित करेगा।

53. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भारत सरकार व उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य राज्यों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं व शैक्षणिक मान्यताओं का संचालन तथा आबद्ध व सम्बद्ध करना,
54. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही छात्रवृत्ति योजना, निःशुल्क कोचिंग संस्थान योजना, अल्पसंख्यकों के व्यक्तियों हेतु छात्रावास का निर्माण व अन्य सहयोगी योजना का संचालन करना।
55. अल्पसंख्यक व्यक्तियों हेतु बेरोजगारी दूर करने हेतु प्रशिक्षण आदि देना अर्थात् काफ्ट सिलाई, कम्प्यूटर आदि की निःशुल्क प्रशिक्षण देना।
56. छात्रवृत्ति प्रदान करना, बेरोजगार युवक/युवतियों हेतु क्राफ्ट, सिलाई, कढ़ाई, कम्प्यूटर व अन्य आदि प्रशिक्षण का निःशुल्क संचालन महिला कल्याण विभाग एवं महिला कल्याण व बाल विकास विभाग भारत सरकार व उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य राज्य सरकारो द्वारा संचालित योजना का संचालन करना ।
57. मानव संसाधन विभाग भारत सरकार व सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का कियान्वयन करना ।
58. विकलांग कल्याण/विकलांग जन/दिव्यांग जन विकास विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का संचालन करना, जैसे दिव्यांग/विकलांग जनों हेतु स्कूल / कालेज की स्थापना करना व आबद्ध व सम्बद्ध करना विकलांग जनो हेतु स्पेशल बी0एड0, स्पेशल डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) बी0पी0एड0, डी0पी0एस0ई0 आदि कोर्स का संचालन विकलांग जनो हेतु मानसिक मंद, मूल शारीरिक रूप से आम व अंध विद्यालयों की स्थापना व सम्बन्धित कोर्स की स्थापना व सम्बन्धित कोर्स की मान्यताओं को सम्बद्ध व आबद्ध करना, विकलांग जनों हेतु निःशुल्क उपकरण वितरण, निःशुल्क दुकान निर्माण, निःशुल्क आवास आदि का निर्माण व व्यवस्था कर सकेना।
59. यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन (यू0जी0सी0) द्वारा चलायी जा रही शैक्षणिक मान्यताओं व योजनाओं का कियान्वयन करना जैसे पब्लिकेशन, गॉष्ट योजना, टेबल गाष्ट योजना, स्पेशल महिला छात्रावास निर्माण योजना, योगा एजुकेशन एण्ड प्रेक्टिस एण्ड पॉजिटिव हेल्थ योजना, स्पेशल एसिसटेन्स प्रोग्राम इन्नोसेटिव प्रोग्राम, रिसर्च फेलोशिप इन हयूमैनिजिंग एण्ड सोसल साइन्स,

पंचशील शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध सेवा संस्थान सुकाव कं/

2063
—
100

7-10-20

लालबाबू बिन्द स्टाम्प वि
तहसील–लालगंज, मीरजापुर
लाइसेन्स नं०–10

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 41AA 531501

ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा संचालित समस्त डिप्लोमा व डिग्री का संचालन करना, सम्बद्ध व आबद्ध करना, हास्पिटैलिटी एण्ड टूरिज्म, इन्फारमेशन टेक्नोजॉजी, मैनेजमेंट स्टडीज, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, टाउन एण्ड कण्ट्री प्लॉनिंग, अण्डरग्रेजुएट स्टडीज इन इंजिनियरिंग आदि डिप्लोमा कोर्स का संचालन करना।

60. एन0सी0वी0टी0 द्वारा संचालित आई0टी0आई0 पाठ्यकम मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा संचालित समस्त डिप्लोमा डिग्री कोर्स का संचालन करना ।

61. समस्त प्रकार के नर्सिंग कोर्स का संचालन, डिप्लोमा व डिग्री कोर्स का संचालन (बी0एस0सी0) आदि कोर्स करना फार्मेसी एव पैराफार्मेसी कोर्स का संचालन करना।

62. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनु0 जाति, अनु0 जन जाति व सामान्य वर्गो के व्यक्तियों के प्रशिक्षण, शैक्षणिक संस्थान की स्थापना, छात्रावास निर्माण आदि योजनाओं का संचालन करना।

63. यह ट्रस्ट आयकर अधिनियम 1961 की धारा (5) के अनुसार परिभाषित , चैरिटेबल (खैराती) की परिभाषा 'निर्धनों की चिकित्सा सम्बन्धी सहायता, शिक्षा और सामान्य जन उपयोग के किसी अन्य उद्देष्य की उन्नति सम्मिलित है, का पालन करेगा ।

संशोधन

पंचशील शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोंध सेवा संस्थान दिनांक 23–09–2011 का शेष भाग

उद्देश्य का शेष भाग कम संख्या 64– यदि किसी कारणवश ट्रस्ट बन्द/नष्ट होता है तो ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पत्ति ऐसे ही समान उद्देश्य से गठित ट्रस्ट/समिति में विलय होगा ।

("In the event of dissolution of the trust the Funds/Assets of trust will be transferred only to some other Trust/Society/Non-Profit Making Company having similar objective")

1. **प्रारम्भिक उपबन्ध :–**

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत की दिनांक से श्री श्याम लाल को न्यास कर्ता एवं न्यास विलेख के रचयित (Author of Dead) भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक सुनिश्चित किया जाता है तथा श्याम नारायण मौर्य, लालमणि मौर्य, लाल बहादुर मौर्य, घनश्याम मौर्य पुत्रगण स्व0 दशरथ प्रसाद मौर्य को ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है।

यदि कोई अन्य व्यवस्था (उत्तराधिकारियों में से) वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक श्री श्याम लाल मौर्य द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कर सुनिश्चित न कर दी जाय, तो श्री श्याम लाल मौर्य की मृत्यु के पश्चात् उनके भाइयों में से ही उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार किसी भी

श्याम लाल मौर्य

सेवा संस्थान [illegible]

सांस्कृतिक शिक्षण प्रशिक्षण एवं आदि

१०८८
८०

7-10-2[illegible]

[illegible]
तहसील [illegible] पीलखापुर
लाइसेंस नं0-10

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

41AA 531502

10

योग्य, कर्मठ को मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक सर्वसम्मत्ति से नियुक्त किया जायेगा। कोई भी निर्णय आपसी सहमति से नहीं करेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक उत्तराधिकार अधिनियम के व्यवस्था अनुसार योग्य उत्तराधिकारी ही होगा। यहीं कम चलता रहेगा। इनके उत्तराधिकारियों के अलावा कोई बाहरी (अतिसन्निकट का ही व्यक्ति क्यों न हो) किसी भी परिस्थिति में ट्रस्टी व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक कभी भी नहीं हो सकता है मैनेजिंग ट्रस्टी या अध्यक्ष/प्रबन्धक या ट्रस्टी द्वारा कभी भी किसी बाहरी (उत्तराधिकारियों के अतिरिक्त) व्यक्ति के नाम ट्रस्ट में सम्मिलित करने हेतु रजिस्ट्रार के यहॉ वसीयत या कोई भी पत्र रजिस्टर्ड करा दिया जाता है तो वह अवैध माना जायेगा। कभी भी ट्रस्टी की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। उत्तराधिकारी आजीवन ट्रस्टी रहेगें।

उक्त नियमों में कोई भी परिवर्तन, परिमार्जन, परिवर्धन किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं किया जा सकता।

3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकता है।
4. यदि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक ट्रस्टी का कार्य तब तक सम्भालेगी जब तक की उनके उत्तराधिकारी कानूनी रूप से बालिग न हो जाये।

2. <u>मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण</u>

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तरीधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक की व्यवस्था कर दें।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक का पद अपने भाइयों में से किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगें जो कि इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक को प्रदत्त किये गये है।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी हेतु ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी अधिनियम की व्यवस्थाओं में मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

श्याम लाल भार्गव

पंचायती शिक्षा प्राधिकार एवं शोध सेवा संस्थान हुकांग क...

९०६७
/३

७-१०

...लकार ...द ... लि...
तहसील आलगंज, ...
लाइसेंस नं०—10

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 41AA 531503

11

कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाॅ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपने वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक अपने जीवनकाल के उत्तरार्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था हेतु अन्तिम रूप से मान्य होगें।

6. यहाॅ पर यह भी स्पष्ट किया जाता हे कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक सभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक् रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें।

8. कार्यतर मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।

9. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक अपने उत्तराधिकारी ट्रस्टीयों में से ही किसी योग्य कर्मठ मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक लिखित रूप से व्यक्त कर दे लेकिन उसमें समस्त उत्तराधिकारियों (ट्रस्टी) की आम सहमति, राय हो। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक का दायित्व है कि किसी योग्य व कर्मठ को समस्त ट्रस्टीयो की राय से सर्वसम्मति से विशेष परिस्थित में बहुमत से, ट्रस्टीयों में से ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक (उत्तराधिकारी) नियुक्त करेंगा तथा किसी भी तरह के कार्य में आम सहमति सर्वसम्मति आवश्यक है। समस्त ट्रस्टी (समस्त उत्तराधिकारी) सर्वसम्मति से मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक के अति निर्णय को नियत्रित कर सकते है। ट्रस्टीयों का अभिप्राय वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक के उत्तराधिकारी के भाइयों, पुत्रों व पपौत्रों से है।

10. ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त संकाय/महाविद्यालय/ट्रेनिंग सेन्टर/अन्य समस्त संस्थान का प्रबन्धक का चुनाव आपसी सहमती/बहुमत से करेगें जिसका उल्लेख ट्रस्ट के कार्यवाही रजिस्टर पर किया जायेगा ।

पंचशील शिक्षण प्रशिक्षण [illegible] सेवा संस्थान सुवान

7068
—
ब

[illegible]
7/0 [illegible]

[illegible] स्टाम्प विक्रे[illegible]
[illegible] -लालगंज, मीरजापुर
लाइसेन्स नं०–10

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

12

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

41AA 531505

11. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक व ट्रस्टी वही होगा जो पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का पालन करेगा, यदि कोई स्वेच्छा से अन्य धर्म ग्रहण कर लेता है तो ट्रस्टी नहीं माना जायेगा तथा उसे ट्रस्ट की किसी भी पद पर कार्यरत नहीं होगा।

4. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें की अधिकतम पन्द्रह सदस्य होगें।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण लगाये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पद से हटा सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक के अनुग्रह तक/प्रसाद पर्यन्त ही कार्य करेगें।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचाार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जा सके।
5. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।
6. मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक का ही विशेषाधिकार– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक की यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि व ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृति/अस्वीकृत/संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है। जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

पंचशील शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध सेवा संस्थान [illegible]

९०२०
९९

[illegible]
7-10-20

लालबाबू [illegible]
तहसील [illegible] कानपुर
[illegible] 13

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 41AA 531506

5. अध्यक्ष/मैनेजिंग/ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधायें–

1. यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी/प्रबन्धक को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त निवास कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिष्चित करने में मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

2. यह ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि प्राप्त कर सकता है। मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा। मानदेय/भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

6. कार्य क्षेत्रः– ट्रस्ट का कार्य सम्पूर्ण विश्व होगा वह सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

8. सचिव/उपसचिव की नियुक्ति :–

1. यह कि मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक ट्रस्ट के दिन प्रतिदित के कार्यो को एवं देख–भाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह सचिव/उपसचिव के वेतन, भत्ते सुविधायें, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा निश्चित किये जायेगें।

3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव, मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक के अनुग्रह/प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगें। मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है तथा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

9. उपाध्यक्ष की नियुक्ति :–

1. मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने के व देख–भाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन,, भत्ते, सुविधायें, कार्य, नियम मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा निश्चित किये जायेगें।

श्याम लाल मौर्य

९०७१
७

पंचशील शिक्षण प्रशिक्षण एवं औषध सेवा संस्थान सुनेल क...

2-10-

...लबाड़ ...
तहसील ...
लाइसेंस नं.-13

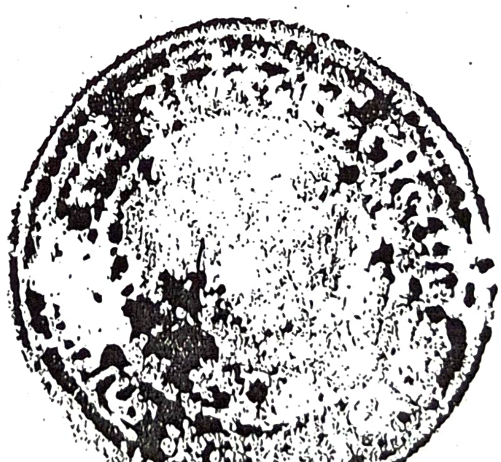

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

14

41AA 531507

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9. यह कि अध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्ट के अनुग्रह तक/प्रसाद पर्यन्त, कार्य करेगें। मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्व प्रशासनिक/अनुशासनात्मक प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यतर व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियॉ कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है।

10. <u>मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य :–</u>

यह कि इस डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी/प्रबन्धक को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी/प्रबन्धक के निम्न अधिकार व कर्तव्य होगें।

क– बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

ख– ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढंग से देख–रेख करने के लिए ट्रस्टी के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

ग– इस डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहॉ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

11 उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–

अध्यक्ष/ट्रस्टी/प्रबन्धक की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

12. <u>सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–</u>

ट्रस्ट के समस्त कार्यो के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यवाही एवं उत्तरदायी है ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार है।

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाली सभी कार्य कलापों एवं दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो में पदाधिकारियों की नियुक्ति, पद मुक्त तथा उनके विरूद्व अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

लाइसेन्स नं०-10

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

15

41AA 531508

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु पोस्टो/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जॉच हेतु निर्णायक नियुक्त कर सकता है।
6. एक से अधिक विशेष अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

13. उप सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. सचिव की उपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

14 बैंक एकाउन्ट :–

1. ट्रस्ट का खाता किसी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति, मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है सामान्यतः खाता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक व ट्रस्टी का संयुक्त रहेगा विशेष परिस्थिति में खाते का संचालन तीन लोग भी (ट्रस्टीयों में से) संयुक्त रूप से कर सकते है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय / संस्थान / केन्द्र /कार्यकम इकाई कार्यालय का पृथक बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थित में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

15 विधिक कार्यवाही :–

1. ट्रस्ट का विवाद न्यायालय में नही जायेगा।
2. भविष्य में यदि संस्था/ट्रस्ट के तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव, अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता नियुक्त एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है न्यास सम्पत्ति एवं न्यास के संचालन

श्याम लाल मौर्य

पंचशील शिक्षण प्रशिक्षण [illegible] सेवा संस्थान सुवांश कला

90/27
8

C.L.L.M
7-10-20

लाइसेंस : [illegible] विक्रेता
तहसील लालगंज, मिर्जापुर
लाइसेन्स नं०- 10

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

16

41AA 531509

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

व प्रबन्ध के बावत् न्यासियों के किसी विवाद के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय में वाद किसी भी परिस्थति में प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा, यदि कोई विवाद न्यास व उसके संचालन प्रबन्धन के बावत् उत्पन्न होता है तो पंचायत द्वारा निर्मित किया जायेगा पंचो की नियुक्ति अथवा नामकरण न्यासियों व अध्यक्ष (ट्रस्टी एवं मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक) द्वारा किया जायेगा, यदि भविष्य में किसी सहायक न्यासी या सदस्य द्वारा किसी विवाद को न्यायालय में दाखिल किया जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संशोधन

पंचशील शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध सेवा संस्थान दिनांक 23–09–2011 का शेष भाग

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. ट्रस्ट द्वारा खोले गये किसी प्रकार के शैक्षिक संस्थान अथवा अन्य संस्थान का स्वयं प्रबन्धक होगा (यह पद प्रबन्धक के नाम से भी जाना जायेगा)।
2. मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक के मृत्यु उपरान्त अथवा सुरक्षा से त्याग पत्र अथवा अन्य कारण से हटाये जाने के कारण जो व्यक्ति मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक चुना जायेगा अथवा नियुक्त होगा समस्त प्रकार के बैंको में खोले गये खातों का संचालन करेगा/कर सकता है।
3. मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक ट्रस्ट की अचल संम्पत्ति, जैसे जमीन मकान आदि अथवा शैक्षिक संस्थान अथवा अन्य संस्थानों से कय की गयी भूमि अथवा अन्य अचल संम्पत्ति को किसी भी बैंक में बंधक (Mortgage) रखकर ऋण आदि ले सकता है।
4. मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक आदि से कय विकय करने का अधिकार होगा।
5. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी बैंक में एकल खाता अथवा अन्य ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से खाता मैनेजिंग ट्रस्टी के नाम से अथवा प्रबन्धक के नाम से अथवा अध्यक्ष के नाम से भी संस्थान खाता खोलवायेगा अथवा खोलवा सकता है।

16. <u>सम्पत्ति सम्बन्धी :–</u>

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेन–लेख/विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

श्याम लाल ...

पंचशील शिक्षण प्रशिक्षण [illegible] सेवा संस्थान सुवाह [illegible]

9074
20

[illegible] हिन्द [illegible] विक्रेता.
-लालगंज, भारजापुर
लाइसेन्स नं०–10

17

41AA 531510

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल संम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति कर विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है, ले सकता है अथवा दे सकता है।

5. ट्रस्ट किसी से ऋण/दान/उपहार/आग्रह/भेंट/सम्मान/पुरस्कार/स्मृति चिन्ह/मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है/सुरक्षित कर सकता है/किसी बैंक/संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/संम्पत्ति का विनियोजित कर सकता है।

7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूत (Gurantee), भाड़ा क्रय (Hire Purchase), अनुज्ञप्ति (License), बंधक (Mortgage), भारित (Charge), गिरवी (Pledge), विभाजित (Partition), आदि कर सकता है, ले सकता है/दे सकता है।

17– विशेष

क– इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय/कार्यक्रम इकाई/कार्यालय/संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन में पृथक् से नियम, उपनियम बनाये जा सकते है। परन्तु यदि व इस डीड ऑफ ट्रस्ट पंचशील शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध सेवा संस्थान के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है तो वह नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगें।

ख– अध्यक्ष/ट्रस्टी/प्रबन्धक आदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते है अथवा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कभी किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी।

कि पंचशील शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध सेवा संस्थान के उक्त न्यास विलेख (INSTUMENT OF TRUST) को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थित में हस्ताक्षर कर दिये गये।

श्याम लाल मौर्य

4078

8

प्रमरवील ग्रामोद्योग [illegible] शोध सेवा संस्थान सुनांव

7-10-2

लाल[illegible] बिन्द [illegible] विक्रेता
[illegible]-लालगंज, [illegible]पुर
लाइसैन्स नं०-10

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 18 41AA 656536

(श्याम लाल मौर्य)

संस्थापक/अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक
पंचशील शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध सेवा संस्थान

इन्द्रजीत सिंह चौहान
मसविदाकर्ता
(इन्द्रजीत सिंह चौहान)
एडवोकेट तहसील लालगंज
जिला मीरजापुर

साक्षीगण

रामलखन

1– नाम रामलखन पुत्र श्यामनारायण नि० मवईकला
पता मवईकला हलिया मीरजापुर

संदीप कुमार मौर्य

2– नाम संदीप कुमार मौर्य S/o लालबहादुर मौर्य
पता ग्रा०व पो० मवईकला, हलिया मीर०

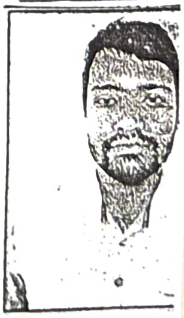

श्याम लाल मौर्य

(1b)

6201

श्री पंचशील शिक्षण शिक्षण एवं शोध सेवा

आवेदन सं०: 202001001004895

न्यास पत्र

बही स०: 4

रजिस्ट्रेशन स०: 12

अवधेश वर्ष: 2020

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 1200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 1300

स्टाम्प विक्रेता
तहसील लालगंज, मीरजापुर
ला० सं०-9 / 13

18/12/2020

श्री पंचशील शिक्षण प्रशिक्षण एंव शोध सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा
श्यामलाल मौर्य प्राकृतिक संरक्षक,
पुत्र श्री स्व0 दशरथ प्रसाद मौर्य
व्यवसाय : शिक्षक
निवासी: नि0 सुबाव कलॉ तह0 लालगंज मीरजापुर

श्यामलाल मौर्य

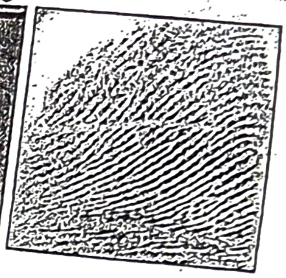

श्री, पंचशील शिक्षण प्रशिक्षण एंव शोध सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा श्यामलाल मौर्य प्राकृतिक संरक्षक

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 21/12/2020 एवं 01:37:04 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सतीश कुमार पाठक (प्र०)
उप निबंधक :लालगंज
मिर्जापुर
21/12/2020

सतीश कुमार पाठक
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

रुपये

रु.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 274989

Government of India

श्याम लाल मौर्या
Shyam Lal Maurya
जन्म तिथि / DOB : 01/01/1967
पुरुष / Male

6491 4437 0152

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

आधार

पता:
S/O: दशरथ प्रसाद मौर्या, सुबाव कलां, पोस्ट- बेदौर, मिर्ज़ापुर, सुवाव कलां, मिर्ज़ापुर, लालगंज मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश, 231211

Address:
S/O: Dasharath Prasad Maurya, suwav kalan, post- bedaur, mirzapur, Suwaw Kalan, Mirzapur, Lalganj (mirzapur), Uttar Pradesh, 231211

6491 4437 0152

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

श्याम लाल मौर्या

(19)

आवेदन सं०: 202001001004895

बही स०: 4

रजिस्ट्रेशन स०: 12

वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री पंचशील शिक्षण प्रशिक्षण एंव शोध सेवा संस्थान ट्रस्ट के द्वारा श्यामलाल मौर्य , पुत्र श्री स्व0 दशरथ प्रसाद मौर्य

निवासी: नि0 सुबाव कलॉ तह0 लालगंज मीरजापुर

व्यवसाय: शिक्षक श्यामलाल मौर्य

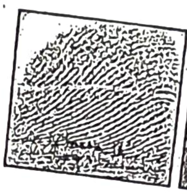

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री रामलखन , पुत्र श्री रामनाथ

निवासी: नि0 मवई कलॉ तह0 लालगंज मीरजापुर

व्यवसाय: कृषि रामलखन

पहचानकर्ता : 2

श्री संदीप कुमार मौर्य , पुत्र श्री बा...

निवासी: नि0 बरडीहा कलॉ तह0 ... मीरजापुर

व्यवसाय: कृषि

संदीप कुमार मौर्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

सतीश कुमार पाठक (प्र०)
उप निबंधक : लालगंज
मिर्जापुर

सतीश कुमार पाठक
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

₹.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CF 274990

भारत सरकार
Government of India

Ram Lakhan
जन्म तिथि / DOB : 12/10/1960
पुरुष / Male

20

4719 2729 7204

आधार - आम आदमी का अधिकार

आधार
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
आत्मज: रामनाथ, 50, मवई कलां, मवई कलां, लालगंज (मिर्ज़ापुर), मिर्ज़ापुर, लालगंज, उत्तर प्रदेशउत्तर प्रदेश, 231211

Address:
S/O: Ramnath, 50, maval K... Mawal Kalan, Lalganj (mirz... Mirzapur, Lalganj, Uttar Pra... 231211

4719 2729 7204

1947
1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uk...

[redacted]

संदीप कुमार मौर्या
Sandeep Kumar Maurya
जन्म तिथि/ DOB: 15/09/1992
पुरुष / MALE

2328 2189 5713

मेरा आधार, मेरी पहचान

आधार
[redacted]

Download Date: 22/06/2017

पता:
S/O: बालकृष्ण, बरडीहा कलां, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश - 231211

Address
S/O: Balkrishna, Bardeeha Kalan, Mirzapur, Uttar Pradesh - 2...

1947
1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in
P.O. Box N... Bengaluru-...

प्रधान लाल मौर्या

20

आवेदन सं०: 202001001004895

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 9 के पृष्ठ 27 से 66 तक क्रमांक 12 पर
दिनाँक 21/12/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

लालबाबू बिन्द स्टाम्प विक्रेता
तहसील–लालगंज, मिर्जापुर
लाइसेंस सं०–10

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सतीश कुमार पाठक (प्र०)
उप निबंधक : लालगंज
मिर्जापुर
21/12/2020